

24/12/25

पत्राच वेडा ह्ये। प्राची वकील उपर। मूल
वाच पत्र अहम-पेची मे खारिज क्रिया
जा चुक्य हे। (09RS के तहत) अतः प्राच
212 PMA का चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्राच 212 PMA भी इसी
स्तर पर खारिज क्रिया जा रहा है। पत्राच
जिसल सुमार होकर दायित्व दफतर हो।

११